

बिहार सरकार
उद्योग विभाग

अधिसूचना

पटना, दिनांक:- 01-10-18

संख्या-3(स०)/उ०स्था०(आरोप)10/18-...../श्री कृष्ण कुमार भारती, प्रभारी महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, पश्चिम चम्पारण(बेतिया) द्वारा केसरा टोला, औद्योगिक स्वावलम्बी सहकारी समिति को कॉमन फैंसिलिटी सेन्टर हेतु खाता में जमा किये गये राशि रू० 55.00 (पचपन) लाख रूपये के विरुद्ध हस्ताक्षरित ब्लैंक चेक समिति के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी से लिये जाने संबंधी आरोपों की जाँच में श्री भारती प्रथम दृष्टया दोषी पाये गये हैं।

श्री भारती का यह आचरण बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली-1976 के नियम-3(ii) एवं (iii) का उल्लंघन है।

अतः बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली-2005 के भाग-4 के नियम-9(1)(क) के आलोक में श्री कृष्ण कुमार भारती, प्रभारी महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, पश्चिम चम्पारण(बेतिया) को तत्काल प्रभाव से निलम्बित करते हुए विभागीय कार्यवाही संचालित करने का निर्णय लिया जाता है।

निलम्बन अवधि में इनका मुख्यालय- जिला उद्योग केन्द्र, पटना निर्धारित किया जाता है।

बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली-2005 के नियम-10 के तहत निलम्बन अवधि में जीवन निर्वाह भत्ता का भुगतान होगा।

विभागीय कार्यवाही संचालन हेतु अलग से संकल्प निर्गत किया जायेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह०/-

(अनिल कुमार झा)

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक:-

पटना, दिनांक:-

3(स०)/उ०स्था०(आरोप)10/18

प्रतिलिपि:- प्रभारी पदाधिकारी, इ-गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को एक सॉफ्ट कॉपी (सी०डी० में) एवं दो हार्ड कॉपी के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक:-

पटना, दिनांक:-

प्रतिलिपि:-महालेखाकार, बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त(वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

सरकार के अवर सचिव

निबंधित

ज्ञापांक:-

पटना, दिनांक:-

प्रतिलिपि:-जिला पदाधिकारी, पश्चिम चम्पारण(बेतिया)/कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, पश्चिम चम्पारण(बेतिया)/पटना/महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, पश्चिम चम्पारण(बेतिया)/पटना/श्री कृष्ण कुमार भारती, निलम्बित प्रभारी महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, पश्चिम चम्पारण(बेतिया) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:-सरकार के अवर सचिव, उद्योग विभाग, बिहार, पटना/उद्योग निदेशक, बिहार, पटना/निदेशक, तकनीकी विकास निदेशालय, बिहार, पटना/निदेशक, हस्तकरघा एवं रेशम निदेशालय, बिहार, पटना/निदेशक, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना/माननीय मंत्री के आप्त सचिव, उद्योग विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, उद्योग विभाग, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी-3(स०), उद्योग विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक:-

पटना, दिनांक:-

प्रतिलिपि:- आई०टी० मैनेजर, उद्योग विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

राकेश/01-10-18

सरकार के अवर सचिव

1.10.18